

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

वाद सं०- एम० 01/2018

धारा-144 द०प्र०सं०

चरण महली वगैरह.....प्रथम पक्ष

बनाम

लक्षु महली वगैरह.....द्वितीय पक्ष

आदेश

28.02.2018.

प्रस्तुत वाद में आवेदक के आवेदन के आलोक में निम्न जमीन पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत कार्यवाही प्रारंभ किया गया। साथ ही उभय पक्ष को विवादित जमीन पर जाने से साठ दिनों तक रोक लगाया गया। उभय पक्ष को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

विवादित जमीन विवरणी

मौजा	थाना	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकवा
लोण्डरा	तमाड़	23	590	1.06 ए० मध्ये 35 डी०

चौहदी-उतर- कमन सिंह मुण्डा, दक्षिण- जयराम महतो

पूरव- सोहराई महतो, पश्चिम- अर्जन महली एवं अन्य

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की ओर से अपना-अपना

जबाब प्रस्तुत किया गया।

प्रथम पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता अपने जबाब में निम्न उल्लेख किये हैं :-

1. विवादित जमीन आर० एस० खतियान में गुरुवा महली वगैरह के नाम से दर्ज है। विवादित जमीन मौजा-लोण्डरा, थाना-तमाड़ के खाता सं०-23 प्लॉट सं०-590 रकवा-1.06 एकड़ मध्ये 35 डी० जमीन पर विवाद है। जबकि द्वितीय पक्ष अपने कारण पृच्छा में तीन खातों के प्लॉटों में विवाद बताया गया है। जो सरासर गलत है।

2. विवादित जमीन के संबंध में अंचल अधिकारी तमाड़ के पत्रांक 612 दिनांक 06.11.2012 ई० में दिये गये जाँच प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि विवादित जमीन प्रथम पक्ष की दखल वाली जमीन बंटवारा में मिली है। इस जमीन को ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत में जमीन विवाद के समझौते में हिस्से पर प्रथम पक्ष को मिली है बताया गया है।

3. द्वितीय पक्ष ने अपने पक्ष में बताया है कि बंटवारा को लेकर प्रथम पक्ष ने माननीय न्यायालय मुंसिफ राँची ऑरिजिनल पार्टीशन सूट सं०-25/2017 चरण महली वगैरह बनाम अर्जून महली वगैरह के बीच चल रहा है। जो लंबित है। यह कहना सरासर गलत है। क्योंकि विवाद जमीन पार्टीशन सूट से संबंधित नहीं है।

4. द्वितीय पक्ष का यह कहना गलत है कि प्रथम पक्ष के पूर्वज सहदेव बांस महली पिता- गुरुवा बांस महली ने रूपा बांस महली पिता-गुरुवा बांस महली को अपने हिस्से की जमीन को निबंधित पट्टा के द्वारा सन् 18.04.1944 ई० को बिक्री कर दिये हैं। प्रथम पक्ष उक्त जमीन को लेकर हिस्सा बंटवारा के लिए मुकदमा दायर किया है। कहना सरासर गलत है। क्योंकि सन् 18.04.1944 ई० के बिक्री निबंधन पट्टा में विवादित प्लॉट नहीं है। यह भी है कि द्वितीय पक्ष ने सन् 18.04.1944 ई० को कय की गई जमीन की दाखिल- खारिज भी अभी तक नहीं किया गया है।

5

28.02.2018

5. यह है कि विवादित जमीन प्रथम पक्ष की हिस्से की जमीन है एवं शांति पूर्वक दखलकार चले आ रहे हैं। द्वितीय पक्ष के द्वारा विवादित जमीन को बाजोरजबरजस्ती कब्जा करना चाहते हैं। विवादित जमीन को लेकर द्वितीय पक्ष के हाथों ही शांति भंग होने की संभावना है। उन्होंने द0 प्र0 सं0 कि धारा-144 के तहत प्रथम पक्ष के हित में रिक्त एवं इसी नियम पर द्वितीय पक्ष के विरुद्ध प्रतिबंधित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

द्वितीय पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता अपने पक्ष में निम्न उल्लेख किये हैं :-

1. द्वितीय पक्ष ने आर0 एस0 खाता सं0-23 प्लॉट सं0-590 रकवा-1.06 ए0 मध्ये 35 डी0, खाता सं0-25 प्लॉट सं0-519 रकवा-5.81 ए0 मध्ये 1.93 ए0, खाता सं0-26 प्लॉट सं0-454 रकवा-2.32 ए0 मध्ये 77 डी0 जमीन को विवादित जमीन बताया गया है। जो आर0 एस0 खतियान में गुरुवा महली वगैरह के नाम से दर्ज है। खतियानी रैयत गुरुवा महली के ही उभय पक्ष वंशज है। विवाद जमीन उभय पक्ष की संयुक्त संपत्ति है एवं बंटवारा नहीं हुआ है। बंटवारा को लेकर प्रथम पक्ष ने माननीय न्यायालय मुंसिफ राँची ऑरिजिनल पार्टिशन सुट सं0-25/2017 चरण महली वगैरह बनाम अर्जून महली वगैरह के बीच चल रहा है। जिसमें जमीन विवरणी निम्न है:-

मौजा	थाना	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकवा
लोण्डरा	तमाड़	25	519	5.01 ए0
			520	0.33 ए0
			525	0.35 ए0
		26	454	2.32 ए0
			533	0.48 ए0

2. यह है कि प्रथम पक्ष के पूर्वज सहदेव बांस महली पिता- गुरुवा बांस महली ने रूपा बांस महली पिता- गुरुवा बांस महली को अपने हिस्से की जमीन को निबंधित पट्टा के द्वारा सन् 18.04.1944 ई0 को बिक्री कर दिये हैं। प्रथम पक्ष उक्त जमीन को लेकर हिस्सा बंटवारा के लिए मुकदमा दायर किया है। प्रथम पक्ष ने ही श्रीमती के न्यायालय में वाद संख्या-एम-132/12 धारा-144 द0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत चरण महली वगैरह बनाम राधा महली वगैरह के बीच चला था, जिसमें प्रथम पक्ष को संपत्ति का बंटवारा हेतु दीवानी न्यायालय में मुकदमा दायर करने हेतु आदेश था।

3. यह है कि प्रथम पक्ष के सदस्य गण द्वितीय पक्ष के ऊपर उक्त जमीन पर ही व्यवहार न्यायालय राँची, मुंसिफ कोर्ट में ओरिजिनल पार्टिशन सूट संख्या-25/2017 चरण महली वगैरह बनाम अर्जून महली वगैरह के बीच चल रहा है। जो विचाराधीन है। जो चलने योग्य नहीं है। उन्होंने द0 प्र0 सं0 कि धारा-144 के तहत द्वितीय पक्ष के हित में रिक्त एवं इसी नियम पर प्रथम पक्ष के विरुद्ध प्रतिबंधित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

निष्कर्ष :-

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं दाखिल किये गये कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विवादी जमीन आर0एस0 खतियान में गुरुवा महली वगैरह के नाम से दर्ज है। दोनों ही पक्ष खतियानी रैयत गुरुवा महली के वंशज बताते हैं। विवादित जमीन को प्रथम पक्ष अपने हिस्से की जमीन के आधार पर दावा कर रहे हैं। द्वितीय पक्ष विवादित जमीन को सन्, 18.04.1944 ई0 को प्रथम पक्ष के पूर्वज

CS

28.02.2018

सहदेव बांस महली की हिस्से की जमीन को कय करने के आधार पर एवं संयुक्त संपत्ति के आधार पर दावा कर रहे हैं तथा पार्टीशन सूट वाद सं०-25/2017 लंबित है। खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है। दाखिल किया गया बिक्री निबंधित पट्टा सन् 18.04.1944 ई० में बिक्री जमीन मौजा-लोण्डरा, थाना-तमाड़, जिला-राँची के खाता संख्या-24, प्लॉट संख्या-595, रकवा-24 डीसमील मध्ये 08 डीसमील, प्लॉट संख्या-604, रकवा-22 डीसमील मध्ये 07 डीसमील, प्लॉट संख्या-577 रकवा-41 डीसमील मध्ये 08 डीसमील, खाता संख्या-26 प्लॉट संख्या-457, रकवा-2.32 एकड़ मध्ये 77 डीसमील, प्लॉट संख्या-533, रकवा-48, डीसमील मध्ये 16 डीसमील, खाता सं०-23, प्लॉट संख्या-606, रकवा-67 डीसमील मध्ये 22 डीसमील जमीन दर्ज है एवं पार्टीशन सूट वाद सं०-25/2017 चरण महली वगैरह बनाम अर्जून महली वगैरह के बीच चल रहा है। जिसमें मौजा-लोण्डरा थाना-तमाड़ के खाता संख्या-25 प्लॉट संख्या-519 रकवा-5.81 ए० प्लॉट संख्या-520 रकवा-0.33 ए० प्लॉट संख्या-525 रकवा-0.35 ए० खाता संख्या-26 प्लॉट संख्या-454 रकवा-2.32 ए० प्लॉट संख्या-533 रकवा-0.48 ए० जमीन से संबंधित है। जो विवादित जमीन से संबंधित नहीं है।

आदेश

विवादित जमीन उभय पक्ष की संयुक्त संपत्ति है। विवाद बंटवारा को लेकर है। जो दण्ड प्रक्रिया की धारा-144 के तहत आदेश पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। द्वितीय पक्ष को निर्देश दिया जाता है कि विवादित जमीन पर ऐसा कार्य नहीं करेंगे जैसा कि शांति भंग होने की संभावना हो। दोनों पक्ष न्याय हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं।

लेखापित एवं संशोधित

28/02/18

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बुण्डू(राँची)

28/02/18

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बुण्डू(राँची)